



न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
 अपील सं० 122/2016 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट अनवान
 जुगलकिशोर पुत्र नेमचन्द जाति गहलोत निवासी करणीकृपा, हरियाणा होटल के सामने, गंगाशहर रोड़,
 बीकानेर ।

बनाम

महावीर पुत्र जेठमल जाति ब्राहमण निवासी कोलासर तहसील वजिला बीकानेर, स्टेट वगैरह(27)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुं
3.12.19	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई । अभिभाषक अपीलान्त श्री राजेश बैद उपस्थित । अभिभाषक अपीलान्त ने वरवक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम कोलासर तहसील, बीकानेर के नामान्तरकरण सं० 582 जो दिनांक 30.6.16 को न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर द्वारा खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत होकर विचाराधीन है । उक्त अपील को अपीलान्त आगे चलाना नहीं चाहता है, अतः अपीलान्त की यह अपील Not press में खारिज फरमाई जावे ।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलान्त के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया । यह प्रथम अपील ग्राम कोलासर तहसील बीकानेर के दर्ज बैयनामा नामान्तरकरण सं. 582 को न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 30.6.2016 के आदेश द्वारा खारिज किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है । अभिभाषक अपीलार्थी के अनुसार अपीलान्त इस अपील को आगे नहीं चालाना चाहता हैं, इस कारण अभिभाषक अपीलान्त ने उक्त अपील को नोट प्रेस में खारिज करने हेतु निवेदन किया है । अतः यह अपील अपीलान्त अभिभाषक अपीलान्त के निवेदन पर Not press में खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय कारिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 3.12.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।</p>	<p>Not Press </p> <p> संभागीय आयुक्त बीकानेर</p>

